राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी–श्री सुखाराम पिण्डेल, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या– 40/2022
जी0सी0एम0एस0 संख्या– 2022/152
दायर दिनांक– 01.12.2022
निर्णय दिनांक– 02.08.2023

1. राकेश खटीक पुत्र मूलचन्द जाति खटीक निवासी रूपनगढ, जिला अजमेर

.....प्रार्थी

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र रतनलाल
2. कमला पत्नि लक्ष्मण
3. मेघराज पुत्र रतनलाल
4. मंजू पुत्री रतनलाल
5. मांगीलाल पुत्र श्योदान
6. रामनिवास पुत्र रतनलाल
7. श्योजीराम पुत्र छोटूराम
8. श्रवणी देवी पत्नि रतनलाल

   सर्वजाति जाट, सर्वनिवासी ग्राम जूणदा तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर
9. बैंक ऑफ बड़ोदा, शाखा हरमाड़ा जरिये शाखा प्रबंधक
10. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा रूपनगढ़ जरिये शाखा प्रबंधक
11. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ़, जिला अजमेर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

......अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–उपस्थिति– 1 शांतिलाल ढेल अधि0 प्रार्थी
2 अरविन्द कुमार दाधिच अधि अप्रार्थीगण

–:निर्णय:–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की एकल खातेदारी एवं कब्जे काश्त कृषि भूमि ख0न0 30 रकबा 1.3186 है0 भूमि वाकै ग्राम जूणदा पटवार हल्का जूणदा, तहसील रूपनगढ जिला अजमेर में स्थित है। प्रार्थी की उक्त वर्णित आराजी ख0न0 30 के पूर्व दिशा में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 की कृषि भूमि ख0न0 311/31, 310/31 एवं 309/31 स्थित है। अप्रार्थी 1 लगायत 8 की खातेदारी भूमि के पश्चात रिकार्डेड ख0न0 33 का सरकारी रास्ता है। वादी ख0न0 311/31, 310/31 एवं 309/31 की मेड़ के सहारे पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा तक प्रार्थी के ख0न0 30 तक रास्ता प्राप्त करने के लिए प्रार्थना–पत्र पेश किया है। प्रार्थी की खतेदारी की कृषि भूमि ख0न0 30 में अप्रार्थीगण की भूमि ख0न0 311/31, 310/31 एवं 309/31 में से प्राप्त करने वाले रास्ते को इस प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शित किया गया है। प्रार्थी के पास अपनी खातेदारी की भूमि में आने जाने हेतु कोई मार्ग/रास्ता उपलब्ध नहीं है। वर्तमान औद्योगिक युग में कृषि उपकरणों को लाने ले जाने हेतु कम से कम 30 फीट का चौड़ा रास्ता होना आवश्यक है ... के पास अपनी आराजी में आने जाने हेतु वर्णित रास्ता ही एकमात्र निकटतम, सुगमतम रास्ता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2023.08.24 14:01:34 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलबी जरिये नोटिस की गयी। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिलशुदा प्राप्त। अप्रार्थी संख्या ... उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 की ओर से ख0न0 309/31, 313/31, 314/31, 315/31, व 311/31 में से रास्ता दिये जाने बाबत् सहमति जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया गया। प्रकरण में (अप्रार्थी संख्या 11) पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ की ओर से जवाब पेश किया। प्राप्त जवाब अनुसार प्रार्थी के कृषि भूमि ख0न0 30 की पहुंच हेतु ख0न0 309/31, 313/31, 314/31, 315/31, व 311/31 में से रास्ता सबसे कम दूरी का बनता है।

02.8.23
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

ग्राम जूणदा के सिवायचक रास्ता ख0न0 33 से प्रविष्टि होते हुए ग्राम जूणदा के ख0न0 309/31 में पश्चिम में मेड़ के पास से होते हुए ख0न0 313/31 ख0न0 314/31 मे पश्चिम की ओर होते हुए ख0न0 315/31 में से होते हुए हुए प्रार्थी के ख0न0 30 में प्रविष्ट होने का रास्ता प्रस्तावित किया गया है। नजरी नक्शा अनुसार प्रस्तावित 30 फीट के रास्ते के रूप में काम में आने वाले वाला रकबा 2016 वर्गमीटर/ 0.2016 हैक्ट0 बनता है, जिसकी ग्राम जूणदा की डी0एल0सी0 दर 106809/– रू प्रति हैक्टर अनुसार 21535 रू बनती है, जिसकी दुगुनी राशि 43070/– रू बनती है।

हमने उभयपक्ष वकील व पैरोकार सरकार की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी के खेत तक आने–जाने का मौके पर अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। रास्ते के अभाव के कारण प्रार्थी को खेत तक आने–जाने पर असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थी को 30 फीट चौड़ा रास्ता दिलवाने के आदेश प्रदान करावें। वकील अप्रार्थीगण ने तहसीलदार रूपनगढ़ द्वारा तैयार रिपोर्ट पर अपनी सहमति जाहिर की।

हमने पत्रावली का अध्ययन, दस्तावेजो का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष वकील व पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया। प्रार्थी के खेत ख0न0 30 तक पहुंच हेतु रास्ता अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 के ख0न0 309/31, 313/31, 314/31, 315/31, व 311/31 से होते हुए पहुंचता है। तदनुसार प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 की भूमि ख0न0 309/31, 313/31, 314/31, 315/31, व 311/31 में से 30 फीट का रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये जाते है।

खसरा नम्बर ख0न0 309/31, 313/31, 314/31, 315/31, व 311/31 में से रास्ते हेतु प्रयुक्त होने वाला रकबा, खातेदार एवं रकम का विवरण निम्नानुसार है–

क. स.	ख0न0	नाम खातेदार	रकबा (है0)	दुगुनी राशि
01	309/31, 313/31, 314/31, 315/31, 311/31	ओमप्रकाश पुत्र रतनलाल	0.0134	2871
02	309/31, 313/31, 314/31, 315/31, 311/31	कमला पत्नि लक्ष्मण	0.0335	7179
03	309/31, 313/31, 314/31, 315/31, 311/31	मेघराज पुत्र रतनलाल	0.0134	2871
04	309/31, 313/31, 314/31, 315/31, 311/31	मंजू पुत्री रतनलाल	0.0134	2871
05	309/31, 313/31, 314/31, 315/31, 311/31	मांगीलाल पुत्र श्योदान	0.0335	7179
06	309/31, 313/31, 314/31, 315/31, 311/31	रामनिवास पुत्र रतनलाल	0.0134	2871
07	309/31, 313/31, 314/31, 315/31, 311/31	श्योजीराम पुत्र छोटूराम	0.0676	14357
08	309/31, 313/31, 314/31, 315/31, 311/31	श्रवणी देवी पत्नि रतनलाल	0.0134	2871

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2023.08.24 14:01:34 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी द्वारा उक्त राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट ब[illegible]र प्र[illegible] करने पर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 को भुगतान हो। भुगतान की कार्यवाही पश्चात् तहसीलदार [illegible] की राजस्व रिकार्ड में रास्ते का अंकन करने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 02.08.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

02.8.23

सुखाराम पिण्डेल
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)